



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: २८४०/१०३८/२०२०
दिनांक: १०-१२-२०२०

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल,
आगरा रोड, हाथरस।

विषय:- प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल, आगरा रोड, हाथरस आगरा को स्वीचितपोषित योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज में बी०ए०ए०ए० पाठ्यक्रम में 60 सीटों के साथ सत्र 2019-20 (एक वर्ष) की सम्बद्धता विस्तारण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

महोदय,

शासनादेश संख्या सम्ब०/११४८/सत्तर-२-२०१४-१६(२५८)/२०१३ दिनांक 01 अगस्त, 2014 एवं कार्य परिपद की वैठक दिनांक 02.09.2014 के अनुपालन में आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम की सम्बद्धता समिति की वैठक दिनांक 18.11.2020 द्वारा स्नातक रत्तर पर आयुर्वेदिक संकाय के अन्तर्गत बी०ए०ए०ए० पाठ्यक्रम में 60 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्वीचितपोषित योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक संख्या-२३६९/७१-आयुष-१-२०१४-१३०/२०१४ लखनऊ दिनांक 20 जून, 2014 के अनुपालन में निम्न शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 संख्या-२३६९/७१-आयुष-१-२०१४-१३०/२०१४ लखनऊ दिनांक 20 जून, 2014 के अनुपालन में निम्न शर्तों के अधीन निम्न कमियों के साथ स्वीकृत सहर्ष प्रदान कर दी गयी है:-

1. मानकानुसार विश्वविद्यालय से शिक्षक कम अनुगोदित हैं। 2. प्रयोगशाला में उपकरण कम हैं। अग्निशमन प्रमाण पत्र कालातीत हो चुका है।

- संस्था, शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिवास-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्विटियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
- संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी०सी०आई०ए० रेग्लेशन के अनुसार निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- अग्निशमन प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 से परिवर्तित कर दी गयी है, यह व्यवस्था अधिनियम की धारा-५(४) विलोपित किये जाने के अन्तर्गत की गई है।

भवदीय

कुलसचिव

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, सी०सी०आई०ए०, जनकपुरी, नई दिल्ली।
- सचिव, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- निदेशक आयुर्वेदिक संवाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- निदेशक आयुर्वेदिक (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- वित्त अधिकारी, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
- अधीक्षक कुलपति सचिवालय।
- अधीक्षक कुलसचिव कार्यालय।
- अधीक्षक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
- सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा)।

कुलसचिव